

राजस्व लोक अदालत केंद्र वर्ष-2016

1/6/2016 पत्रावली राजस्व लोक
अदालत केंद्र सुनेरपुर
पाली में प्रेषित हुई।

अतिवादी हरी उकाश जिले में
उपस्थित होकर राजीनामा-उपत्र
लखन का निवेदन किया कि
उत्तरे (अतिवादी) द्वारा वापिस
की खानगी की भूमि में किसी
उकाश का इस्तफा नहीं
किया गया है व अविषय में वापिस
की भूमि में लखन का कोई
इरादा नहीं है। अतिवादी ने अदालत
करना कि उत्तरे द्वारा नया नर पर
सकाई कार्य किया गया था, वापिस
की खानगी की में नहीं। अतः निर्विषय
के विषय में कोई आपत्ति नहीं

उपरखण्ड अधिकारी
सुनेरपुर, जिला-पाली (रा)

१ /

वजय का अधिकाधिक के निवेदन
 संबंधी कोई आपत्ति नहीं
 होने से जरिये शहीनामा
 के बाद सीमांकन अधिकाधिक
 वादीगण की खातेदारी शूमि
 में किसी तरह का हस्तक्षेप
 नहीं करेगा पत्रवारी लक्ष्य
 में न सीमांकन कर देना
 पक्षकार के सीमांकन कर देना
 अधिकाधिक के आधिक कोर्ट
 वादीगण की छुट्टि शूमि में
 किसी तरह का हस्तक्षेप न
 करना हेतु पाबन्द करे।

पत्रवारी जरिये शहीनामा-
 पत्रक रूप अधिकाधिक उभाशक्ति
 की सहमति लिखित के अनुसार
 प्रियम कुमार लोक नम्बर १

कम से

अधिकारी
 मुंबई, जिला-पाली